पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 12/2017

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता जाति अग्रवाल साकिन जी ब्लाक श्रीगंगानगर (राजसथान)

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. सुरजीत कौर पुत्र श्री सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत नेतेवाला पंचायत समिति श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 30.11.2017

अपीलान्ट की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमांबंदी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मु0 न0 36 के किला न0 5 की 0.139 हैक्टयर (0.051 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) जिसका 165 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ के साथ लगता हुआ 52 फीट गुणा 91 फीट भाग जिसका 52 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ की तरफ लगता है व 91 फीट भाग गहराई है यथा कुल 0.0439 हैक्टयर छोड़कर शेष 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी मय खाला कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 13.07.2015 द्वारा खरीद की। उक्त बैयनामा श्रीमान उपपंजीयक श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 35 में पृष्ठ संख्या 168 क्रम संख्या 2015000925 पर दिनांक 22.07.2015 को पंजीबद्ध है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 121 के पृष्ठ संख्या 85 से 92 पर चस्पा है।

अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 की 0.139 हैक्टयर (0.051 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) जिसका 165 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ के साथ लगता हुआ है में से उतर दिशा की तरफ मुरब्बा लाईन से चिपते हुए चल रहे खाला व रोड़ के साथ लगता हुआ 52 फीट गुणा 91 फीट भाग जिसका 52 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ की तरफ लगता है व 91 फीट भाग गहराई है यथा कुल 0.0439 हैक्टयर छोड़कर शेष 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी व खाला खरीद किया था तथा 0.9504 हैक्टयर रकबा अपीलार्थी के नाम दर्ज होना था तथा शेष 0.439 हैक्टयर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज होना था परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 ग्राम पंचायत नेतेवाला ने अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा माईण्ड अप्लाई करते हुये इन्तकाल संख्या 297 प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.10.2015 द्वारा चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमांबन्दी 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 की 0.139 हैक्टयर (0.51 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) जिसका 165 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ पर लगता हुआ है है में से उत्तर दिशा की तरफ मुरब्बा लाईन से चिपते हुए चल रहे खाला व रोड़ के साथ लगता हुआ 52 फीट गुणा 91 फीट भाग जिसका 52 फीट भाग पूर्व दिशा में खाला व रोड़ की तरफ व 91 फीट भाग गहराई है यथा कुल 0.0439 हैक्टयर छोड़कर शेष 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी व खाला खरीद किया था जिसका अपीलार्थी खरीद की दिनांक से ही मालिक काबिज एंव काश्त है तथा शेष रकबा 0.0439 हैक्टयर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 काबिज काश्त है इसलिये

0.09504 हैक्टयर रकबा अपीलार्थी (दिनेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण) के नाम दर्ज होना चाहिए था तथा शेष 0.0439 हैक्टयर रकबा रेस्पोडेंट 1 के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेंट 2 ग्राम पंचायत नेतेवाला ने बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा माईण्ड अप्लाई कर अपीलार्थी द्वारा इस खाता में खरीद किए गए रकबा से अधिक रकबा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया है जिससे अपीलार्थी एंव रेस्पोडेंट 1 के कब्जा काश्त भी प्रभावित हुए हैं इस लिए उक्त इन्तकाल संख्या 297 दिनांक 05.10.2015 को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेंट 1 भी इन्तकाल संख्या 297 द्वारा हुए अंकन को दुरूस्त करवाने में पूर्णतः सहमत है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा इन्तकाल दुरूस्त नहीं किया जा रहा है।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नेतेवाला का इन्तकाल संख्या 297 स्वीकृत दिनांक 05.10.2015 को दुरूस्त किया जाकर चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमांबन्दी 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 की 0.139 हैक्टयर (0.51 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) मे से 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी व खाला कृषि भूमि अपीलार्थी के नाम तथा शेष 0.0439 हैक्टयर रेस्पोडेंट संख्या 1(सुरजीत कौर पत्नि सुच्चा सिंह) क नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेंटस को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 (ग्राम पंचायत नेतेवाला) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण इन्तकाल करते समय मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 का 0.139 हैक्टयर रकबा अपीलार्थी के नाम दर्ज हो गया तथा 0.0439 हैक्टयर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरजीत कौर के नाम दर्ज नहीं हुआ। अतः इन्तकाल संख्या 297 स्वीकृत दिनांक 05.10.2015 को दुरूस्त किया जाकर चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमांबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 की 0.139 हैक्टयर (0.51 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) मे से 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी व खाला कृषि भूमि अपीलार्थी (दिनेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता) के नाम तथा शेष 0.0439 हैक्टयर रेस्पोडेंट संख्या 1 (सुरजीत कौर पत्नि सुच्चा सिंह) क नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

अपीलार्थी एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.10.2017 को राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत नेतेवाला का इन्तकाल नम्बर 297 दिनांक 05.10.2015 में उक्तानुसार दुरूस्ती करने पर अपनी सहमति दी है।

स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक माना है।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्ता के कथन, दोनों पक्षों के राजीनामा, तहसीलदार श्रीगंगानगर तथा ग्राम पंचायत नेतेवाला की रिपोर्ट का मनन करने पर पाया कि इन्तकाल में लिपिकीय त्रुटि से इन्द्राज होने के कारण सुधार किया जाकर इन्तकाल संख्या 297 स्वीकृत दिनांक 05.10.2015 को दुरूस्त किया जाकर चक 3 एच एच पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमांबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 71/58 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 5 की 0.139 हैक्टयर (0.51 हैक्टयर खाला + 0.088 हैक्टयर नहरी) मे से 0.09504 हैक्टयर रकबा नहरी व खाला कृषि भूमि अपीलार्थी (दिनेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता) के नाम तथा शेष 0.0439 हैक्टयर रेस्पोडेंट संख्या 1 (सुरजीत कौर पत्नी सुच्चा सिंह) के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को एंव ग्राम पंचायत नेतेवाला को अनुपालना हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **30.11.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)